कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष—वित्त / बजट) म.प्र. भोपाल

☎PHONE NO./FAX NO. 0755-2674286, E-mail - apccfbgt@mp.gov.in

क्रमांक / नि.प्र. / एफ–75 B / 2019 / 4924 भोपाल, दिनांक 18/9/19

प्रति,

समस्त आहरण संवितरण अधिकारी
मध्य प्रदेश।

विषयः—अंकेक्षण दलों को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महालेखाकार द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण / आंतरिक लेखा परीक्षक दलों को कार्यालय प्रमुख द्वारा समस्त अभिलेख परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाते है।

1. भुगतान व्हाउचरः— अंकेक्षण दल को वांछित अभिलेख भुगतान व्हाउचर यथासमय उपलब्ध नहीं कराया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है। यदि भविष्य में समस्त भुगतान व्हाउचर परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो यह माना जायेगा कि ऐसे अप्रस्तुत प्रमाणक मध्य प्रदेश भंडार क्रय सेवा उपार्जन नियम 2015 के प्रावधानों, बजट मेनुअल एवं वित्तीय अनियमितता होने के अनुसार प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा यह समस्त अप्रस्तुत भुगतान व्हाउचर अनियमित क्रय की श्रेणी के है। इस अनियमित क्रय हेतु संलग्न सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संबंधित कार्यवाही भी संस्थापित की जावेगी।

2. उक्त के अतिरिक्त निम्न अभिलेख भी अंकेक्षण दल द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

1. कैशबुक
2. बिल पंजी
4. भण्डार पंजी
5. सामग्री वितरण पंजी
6. निविदा के अभिलेख
7. प्लाटेशन जर्नल
8. कम्पार्टमेंट हिस्ट्री
9. वर्किंग प्लान एवं अन्य अभिलेख

उपरोक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा की आपके द्वारा शासकीय उत्तरदायित्व में लापरवाही बरतते हुये नियमानुसार शासकीय अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया और इसके लिये आपके एवं संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध अनुशासानत्मक कार्यवाही संस्थापित की जावेगी।

17/9/19

(विभाष कुमार ठाकुर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक / नि.प्र. / एफ–75**B** / 2019 / 4925 भोपाल, दिनांक 18/9/19

प्रतिलिपिः–

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्य प्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपने अधीनस्थ कार्यालयों को निरीक्षण के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि डी.डी.ओ. एवं संबंधित कर्मचारी द्वारा उपरोक्तानुसार अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जाते है तो उनके विरूद्ध अनुशसानत्मक कार्यवाही करें अथवा कार्यवाही प्रस्तावित करें।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्यौगिकी) की ओर विभागीय वेवसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

3. संचालक (वित्त / बजट) / उप संचालक (वित्त / बजट) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

17/9/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल

D/reenu saxena-2016 IBM 13-10-2016/IR/new letter